लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.i

पत्रांक : BRLPS-LSBA/Proj/18/17/1210 **दिनांक :** 04.03.2020

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत शत् प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन हेतु सभी ग्रामों के महादलित/दलित बहुल्य बसावटों/टोलों में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) कलस्टर शौचालयों के निर्माण के संबंध में।**

प्रसंग- **पत्रांक BRLPS-LSBA/Proj/18/17/728 दिनांक 01.10.2019 एवं पत्रांक BRLPS-LSBA/Proj/18/17/818 दिनांक 04.11.2019**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में आप अवगत है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व एवं निरंतरता हेतु यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को शौचालय की सुलभता उपलब्ध हो तथा सभी ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध शौचालयों का उपयोग किया जाए। इस संबंध में विभागीय स्तर पर पत्रांक 728 दिनांक 01.10.2019 एवं 818 दिनांक 04.11.2019 द्वारा स्पष्ट निर्देश एवं प्रावधान वर्णित किये गये हैं।

परन्तु, हाल में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये गये सर्वे एवं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ टोला/बसावटों में विशेषकर महादलित/दलित बहुल्य टोला/बसावटों में जमीन के अभाव में लाभार्थियों द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। अत: ऐसे घरों को शौचालय के उपयोग से आच्छादित किया जाना सम्पूर्ण स्वच्छता आच्छादन हेतु आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक है कि जिला/प्रखण्ड स्तर पर अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की सुलभता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न कार्य किये जाए-

i. सर्वप्रथम ग्राम स्तर पर सभी महादलित/दलित टोला/बसावटों का भ्रमण/सर्वे कर शौचालय आच्छादन के अंतर को assess किया जाए एवं वैसे छुटे हुए घरों को चिन्हित कर संबंधित पूर्ण विवरणी यथा- नाम/पिता/पति का नाम / ग्राम/टोला/भुमि की स्थिति/ शौचालय आच्छादन एवं भुगतान की स्थिति इत्यादि प्राप्त कर ली जाए।
ii. शौचालय आच्छादन से छुटे हुए परिवारों/घरों के पास यदि भूमि उपलब्ध है तो उन परिवारों के सदस्यों के व्यवहार परिवर्तन हेतु आवश्यक Triggering Tool का उपयोग किया जाए एवं उत्प्रेरण के माध्यम से वैसे घरों को शौचालय से यथाशीघ्र आच्छादित किया जाए।
iii. शौचालय आच्छादन से छुटे हुए परिवारों/घरों के पास यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो उन परिवारों/घरों के सदस्यों के व्यवहार परिवर्तन के साथ-साथ शौचालय की सुलभता हेतु कलस्टर शौचालय या सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सुविधा हेतु उपलब्ध करायी जाए।

iv. शौचालय आच्छादन से छुटे हुए परिवारों/घरों के नाम यदि बेसलाईन में दर्ज नहीं है तो वैसे परिवारों को NOLB अन्तर्गत नाम जोडते हुए शौचालय आच्छादन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

v. दलित/महादलित बसावटों में व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने के उपरांत अविलम्ब सभी योग्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए एवं शत् प्रतिशत शौचालय आच्छादन हेतु निर्मित कलस्टर/ सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) का भी नियमानुसार संबंधित को भुगतान किया जाए।

vi. दलित/महादलित बसावटों/टोलों में ODF के स्थायित्व एवं निरंतरता हेतु निगरानी समिति का गठन किया जाए एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु वार्ड स्तर पर वॉलेन्टियर/स्कूल के छात्र/छात्राएं/युवाओं/जीविका के महिलाओं आदि के वार्ड स्तर निगरानी समिति से जोडकर इसे पुनर्जीवित एवं पुर्नसक्रिय किया जाए।

vii. पंचायतवार चिन्हित सभी महादलित टोला/बसावटों हेतु नोडलकर्मी प्रतिनियुक्त किये जाए तथा प्रखण्ड स्तर पर प्रतिदिन एवं जिला स्तर पर साप्ताहिक रूप से किये गये कार्यों की समीक्षा की जाए।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को शौचालय की सुलभता 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध करा दी जायेगी। इस संदर्भ में प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

04/03/2020

(बालामुरूगन डी०)

अनुलग्नक: महादलित/दलित बसावटों में शौचालय आच्छादन संबंधी प्रपत्र।

ज्ञापांक: BRLPS-LSBA/Proj/18/17/1210 **दिनांक:** 04.03.2020

प्रतिलिपि : सभी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

04/03/2020

(बालामुरूगन डी०)